

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग राजस्थान जयपुर
क्रमांक :- एफ.3(ई)निप / (आर-34 / 90)अलेसे- 11 / दिनांक :-

कार्यालय आदेश

श्री राजा बाबू विजय, लेखाकार, अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, कोटा ने नाम परिवर्तन की सूचना राजस्थान राज पत्र दिनांक 24 अक्टूबर 2013 भाग.सं. 7 में प्रकाशित होने तथा बन्ध पत्र की सूचना का दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर के क्रमशः दिनांक 14.09.2013 तथा 18.09.2013 के अंक में प्रकाशित होने पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 8 के निर्णय 5 के अनुसरण में उनका नाम "राजा बाबू विजय" के स्थान पर "राजेन्द्र बी. विजय" किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

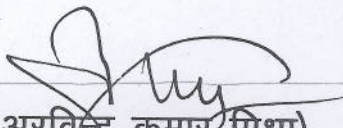
भविष्य में "श्री राजा बाबू विजय" के स्थान पर "राजेन्द्र बी. विजय" के नाम से जाना जावेगा।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.3(ई)निप / (आर-34 / 90)अलेसे- 11 / 5164-5111 दिनांक :- 07.07.14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, कोटा।
2. कोषाधिकारी, कोटा।
3. श्री राजेन्द्र बी. विजय, लेखाकार कार्यालय अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, कोटा।
4. निजी सहायक, निदेशक महोदय, कोष एवं लेखा।
5. उप निदेशक, ए.सी.पी. हाजा।
6. पदस्थापन सीट / गोपनीय शाखा / वरिष्ठता सीट।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।


(डा.अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)